ऋण नीति

कृषि उपज मंडी समितियों को ऋण :-

अपनी उपज लेकर विक्रय हेतु मण्डी प्रांगणों में आने वाले किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराना मण्डी समिति का प्राथमिक कर्तव्य है, मण्डी समितियां मण्डी निधि से विभिन्न विकास कार्य अपने हाथ में लेती रहती हैं। परन्तु आवश्यकता होने पर बोर्ड से ऋण लेकर प्रांगण का विकास कार्य करती हैं।

मण्डी प्रांगण में कृषकों एवं व्यापारियों के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं अन्य विकास कार्यो हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण नीति अनुसार मण्डियों/उपमण्डियों के प्रांगण विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

प्रथमबार स्थापित होने वाली मण्डी समिति प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थापना के लिये :-

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1997 की धारा 44 खण्ड (तीन) (क) के प्रावधान अनुसार प्रथमबार स्थापित किये गये मण्डी प्रांगण या प्रथमबार स्थापित की गई उपमण्डी हेतु बोर्ड द्वारा विहित की गई संरचना का संनिर्माण करना एवं उससे संबंधित स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिये रुपये 10.00 लाख (दस लाख) तक या अनुमानित व्यय जो भी कम हो, की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। यह अनुदान मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के प्रथमबार स्थापना से अधिकतम 6 माह की अवधि में ही स्वीकृत किया जावेगा। स्वीकृत किया जावेगा ।

ऋण लेने के लिये पात्रता का निर्धरण एंव अन्य शर्ते :-

अ. मण्डी समितियों द्वारा बोर्ड को शुल्क, ऋण किस्तों का नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा हो, तथा किसी प्रकार का बोर्ड शुल्क एवं ऋण किश्त एवं ब्याज बकाया न हो।

ब. सर्वप्रथम मण्डी समिति मण्डी निधि का उपयोग प्रांगण में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये करेगी तथा मण्डी निधि पर्याप्त न होने की दशा में ही मण्डी समिति को ऋण दिया जावेगा।

स. यह पाया जाने पर कि मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग जिस कार्य के लिये स्वीकृति दी गई है उस कार्य के लिये ना किया जाकर अपने स्थापना एवं अन्य खर्चो के भुगतान के लिये किया जाता है तो ऐसी मण्डी समितियों को आगे की किश्तों का भुगतान बंद कर दिया जावेगा तथा पूर्व में जो ऋण दिया गया है उसकी वसूली 20 प्रतिशत दण्ड ब्याज के साथ की जावेगी।

द. मण्डियों को सेण्ड्रीशाप एवं शाप कम गोदाम के लिये ऋण स्वीकृत नही किया जावेगा इसके लिये पृथक से

योजना जारी की गई है।

इ. प्रथमत: मण्डी प्रांगण में मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु ऋण दिया जावेगा मूलभूत सुविधायें पूर्णरूप से उपलब्ध हो जाने के बाद ही अन्य सुविधायें हेतु ऋण दिया जावेगा।

मूलभूत सुविधाओं के लिये ऋण :-

मंडी समितियों को मंडी प्रांगण में निम्न मूलभूत सुविधाओं के लिये 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जावेगा :-

1. बाउण्ड्रीवाल	2. सीमेंट कांक्रीट आंतरिक सड़क
3. कव्हर्ड शेड/ट्राली शेड	4. विद्युत व्यवस्था
5. पेयजल व्यवस्था	6. कार्यलय भवन
7. शौचालय	8. प्रांगण में खुली नाली निर्माण

मंडी समितियों को मूलभूत सुविधओं के लिये श्रेणीवार दिये जाने वाले न्यूनतम **4 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशी की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	मंडी की श्रेणी	अधिकतम राशि (लाख रू)
1	''क''	250.00
2	''ख''	150.00
3	''ग''	100.00
4	''ध''	60.00
5	उपमंडी क्रियाशील	40.00

पूर्व में मंडियो को दिया गया ऋण अधिकतम सीमा से उसकी राशि को कम करने के पश्चात ही शेष राशि की सीमा तक संबंधित मंडी समिति को ऋण दिया जा सकेगा ।

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण हेतु भूमि अधिगृहण/क्रय करने, शासकीय भूमि की प्रब्याजी एवं भू-भाटक आदि भुगतान करने हेतु मण्डी समितियों में आवश्यकता अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दर पर अलग से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

मंडी समितियों की नई ऋण नीति एवं चेक लिस्ट

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / ऋण / 75 / पार्ट / 82 भोपाल, दिनांक 24 / 06 / 2010

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.....जिला.....

विषयः– ऋण नीति अनुसार नवीन ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने बावत्।

–0–

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–3 / 2 / ऋण / 75 / पार्ट / 236, दिनांक 31.07.2006 द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ निम्न जानकारियों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर संभागीय उपसंचालकों की स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजें जाने के निर्देश जारी किये गये थेः–

(1) म0प्र0कृषि उपज मण्डी (मण्डी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय) नियम 1980 के नियम–63 (1) में निर्धारित प्रारूप 14 में जानकारी दी जावेगी। प्रारूप 14 के बिन्दु 1 में मण्डी समिति के नाम के साथ–साथ मण्डी का वर्ग भी अंकित किया जावेगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव / ठहराव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति।

(3) मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं पूर्व में उपलब्ध सुविधायें पृथक–पृथक रंगों में अंकित हो।

(4) प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सत्यापित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें कार्यो के आकार–प्रकार अंकित हो।

(5) शासन द्वारा मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण घोषित होने संबंधी अधिसूचना की प्रति।

(6) यदि ऋण उपमण्डी प्रांगण के लिए हो तो उपमण्डी क्रियाशील है या नहीं। इस संबंध में उपमण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय–व्यय की जानकारी।

(7) मण्डी की गत तीन वर्षो की आवक, आय–व्यय एवं बचत की जानकारी।

(8) मण्डी के पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध चालू निधि एवं स्थायी निधि की जानकारी।

(9) पूर्व में प्राप्त तथा बकाया ऋण / ब्याज की जानकारी बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्षवार एवं कार्यवार।

(10) बकाया बोर्ड शुल्क की जानकारी।

(11) पूर्व में प्राप्त ऋण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यपालन यंत्री से सत्यापित।

(12) कार्यपालन यंत्री का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र स्पष्ट अभिमत सहित।

(13) मण्डी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं? तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(14) प्राप्त किये जाने वाले ऋंण की पुर्नभुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र सचिव द्वारा प्रमाणित।

प्रायः यह देखने में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऋण स्वीकृति के जो प्रकरण/प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को भेजे जाते है, उनमें अनेक कमियां होती है,जिसकी पूर्ति हेतु मण्डी समितियों को बार–बार लिखना पड़ता है। इस कार्यवाही के कारण ऋण स्वीकृति के प्रकरणों विलम्ब होता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति पश्चात् ऋण प्रस्ताव सभागीय उपसंचालकों की स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे। चेक लिस्ट का प्रारूप संलग्न है। यदि ऋण प्रस्ताव के साथ चेक लिस्ट संलग्न नहीं की जाती है तो ऐसे ऋण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/83 भोपाल, दिनांक 24/06/2010

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आपके द्वारा अनुशंसा से मुख्यालय को भेजे जाने वाले मण्डी समतियों को ऋण स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण आप अपने स्तर पर ही कर ले कि चेक लिस्ट अनुसार जानकारी मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई है अथवा नही। जानकारी पूर्ण होने पर ही प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भेजे। चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव न होने पर अपने स्तर से ही मण्डी समिति को वापस करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

चेक लिस्ट

(1) म0प्र0कृषि उपज मण्डी (मण्डी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय) नियम 1980 के नियम–63 (1) में निर्धारित प्रारूप 14 में जानकारी दी जावेगी। प्रारूप 14 के बिन्दु 1 में मण्डी समिति के नाम के साथ–साथ मण्डी का वर्ग भी अंकित किया जावेगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति।

(3) मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं पूर्व में उपलब्ध सुविधायें पृथक–पृथक रंगों में अंकित हो।

(4) प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सत्यापित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें कार्यो के आकार–प्रकार अंकित हो।

(5) शासन द्वारा मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण घोषित होने संबंधी अधिसूचना की प्रति।

(6) यदि ऋण उपमण्डी प्रांगण के लिए हो तो उपमण्डी क्रियाशील है या नहीं। इस संबंध में उपमण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय–व्यय की जानकारी।

(7) मण्डी की गत तीन वर्षो की आवक, आय–व्यय एवं बचत की जानकारी।

(8) मण्डी के पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध चालू निधि एवं स्थायी निधि की जानकारी।

(9) पूर्व में प्राप्त तथा बकाया ऋण/ब्याज की जानकारी बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्षवार एवं कार्यवार।

(10) बकाया बोर्ड शुल्क की जानकारी।

(11) पूर्व में प्राप्त ऋण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यपालन यंत्री से सत्यापित।

(12) कार्यपालन यंत्री का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र स्पष्ट अभिमत सहित।

(13) मण्डी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं? तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(14) प्राप्त किये जाने वाले ऋण की पुर्नभुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र सचिव द्वारा प्रमाणित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल